

बुलावा पत्र का प्रारूप

उत्तर प्रदेश पी0 ए0 सी0 मुख्यालय महानगर लखनऊ—226006

फोन: 91-522-2337455, सीयूजी: 91-9454401190 फैक्स: 91-522-2337453, ई-मेल: sec1@uppac.net uppoltice.gov.in
संख्या: पीएसी-1-212-2015 दिनांक: जुलाई , 2016

सेवा में,

अनुक्रमांक—

नाम—.....पिता का नाम

पता.....

विषय: प्लाटून कमाण्डर पीएसी हेतु अनन्ति चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

—

कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या: पॉच- 111(उ0नि0सी0भ0-2011)2015 दिनांक 27.05.2016 एवं उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीबी- अनु0-6-प-01 / 2015(पार्ट फाइल) दिनांक-05.05.2016 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर एवं चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप आपको प्लाटून कमाण्डर पीएसी के बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ए0पी0टी0सी0 सीतापुर आवंटित किया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03-07-2016 को अपराह्न 04-00बजे तक अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-01, 02 एवं 03 में क्रमशः रूपये 32/- 42/- एवं 32/- के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ-पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों (परिशिष्ट-“क”) के अनुसार कार्यवाही करें। प्रारूप संख्या-01, 02 व 03 एवं प्रशिक्षण निदेशालय जारी निर्देश बेवसाइट नवचवसपबमण्डवअण्ड में पीएसी टैब के अन्दर सरकुलर पर भी उपलब्ध है।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक.....। को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करने एवं इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराते हुये दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: संस्था प्रमुख, ए0पी0टी0सी0 सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण-पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पीएसी मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा-निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन-पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट,

अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों एवं चरित्र सत्यापन आद्यायें)

परिशिष्ट “क”

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या: प्रनि-प-82-2014(एसआई सीधीभर्ती) दिनांक
18-10-2015 के माध्यम से प्राप्त निर्देश।

- (1) प्रशिक्षण केन्द्र में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ/शराब का सेवन वर्जित होगा।
 - (2) पान व पान मसाला व गुटखा खाकर क्लास रूम में नहीं जायेंगे तथा हास्टल की दीवारों को गन्दा नहीं करेंगे। अनुशासित ढंग से रहेंगे। अनुशासनहीनता का कोई भी प्रकरण सामने आने पर ऐसे कर्मी को तत्काल प्रशिक्षण केन्द्र से वापस कर दिया जायेगा।
 - (3) परेड ग्राउण्ड व क्लास रूप में मोबाइल लेकर नहीं जायेंगे। अपना मोबाइल हास्टल में रखेंगे।
 - (4) प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे।
 - (5) प्रशिक्षण में जाते समय मौसम के अनुसार कपड़े, बिस्तर एवं मच्छरदानी आदि लेकर अवश्य जायें।
 - (6) प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण से सम्बन्धित वर्दी तथा प्रशिक्षण सामग्री क्य हेतु पर्याप्त मात्र में धनराशि तथा मेस एण्डवान्स के लिये पर्याप्त धनराशि लेकर जायेंगे।
-

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज-सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा वृत्ति(स्टाईपेण्ड) को प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा, के सम्बन्ध में विद्यार्थी (कैडेट) के माता पिता, संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूंकि मैं.....आत्मज.....का
नाम जिला.....का निवासी हूँ और चूंकि पुलिस सेवा के हेतु अध्ययन के प्रयोजनार्थ ए0पी0ठी0सी0.
.....में विद्यार्थी भर्ती होने के लिय उत्तर प्रदेश शासन में श्री.....आत्मज.....निवासी.....को चुना है और
उसने सरकार की सेवा को वरण किया है।

अतएव यह बन्ध पत्र दिनांक.....जो उक्त.....के निमित्त प्रतिभू.....प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य में निस्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त.....के उक्त कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त.....इस बन्ध के दिनांक से उक्त कालेज में परिश्रम पूर्वक अध्ययन करते हुए तब तक रहेगी जब तक पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 या उक्त कालेज के प्रधानाचार्य उसे अपनी शिक्षा छोड़ने की अनुमति न प्रदान करें, और वह उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे हृदय से पालन करेगा। उक्त.....का उक्त अवस्था कि उक्त.....विद्यार्थी(कैडेट)।

1—उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा पास न करें।

2—प्रशिक्षण से त्याग पत्र दें।

3—दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त परीक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।

4—उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें अथवा इन नियमों के आधीन उक्त कालेज से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।

5—प्रशिक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।

6—साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र देदें।

7—उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्व वृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या प्रथक किये जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैडेट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचन बद्ध है:-

1—वह सब धनराशि जो साज सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जावें।

2—वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जाय।

3—वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।

4—और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि कैडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण पत्र पर जो उक्त कैडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा माल गुंजारी की भाँति वसूल होगा।

साक्षी

1—.....हस्ताक्षर.....

2—.....दिनांक.....

स्थान.....

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर करने के लिये अन्य पत्र

मे.....आत्मज.....को.....
.....जिला.....का निवासी हूँ।.....स्थिति ए०पी०टी०सी० में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष.....
....में चुना गया हूँ। (जिसे आगे कैडेट कहा गया है)

उक्त कैडेट राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा समय-समय पर जो भी साज-सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दें, और जिसके मूल्य के सम्बन्ध में उसे यथासमय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किश्तों में कर देगा और इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाए वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त कैडेट को त्याग पत्र देने, अध्ययन बन्द कर देने या पदच्युत किए जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त प्रधानाचार्य ने उसे कालेज में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में कालेज स्टोर से मिलें हों अपने पास रखें या वह उन्हें ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त प्रधानाचार्य निश्चित करें, प्रधानाचार्य के हाथ बेच सकता है।

उक्त कैडेट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वह:-

- 1—उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा पास न करे।
- 2—प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
- 3—दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
- 4—प्रशिक्षण काल में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र० अथवा उक्त कालेज के प्रधानाचार्य की बिना पूर्व अनुमति के उक्त कालेज छोड़कर चला जाय या शिक्षा बन्द कर दे।
- 5—उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों को पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त कालेज से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।
- 6—प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
- 7—साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किए जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
- 8—उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किया जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैडेट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध है:-

- 1—वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जाय।
- 2—वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जावे।
- 3—वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त कैडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण-पत्र पर जो उक्त कैडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भौति वसूल होगा।

साक्षी

1—.....	हस्ताक्षर.....
2—.....	दिनांक.....
	स्थान.....

शपथ पत्र का प्रारूप

नाम.....उम्र लगभग.....वर्ष पुत्र श्री..... निवासी: ग्राम/मुहल्ला/मकान
 सं0.....डाकघर.....विकास खण्ड.....थाना.....तहसील.....
 ...जिला.....(पिन कोड.....) का शपथ पत्र।

मैंउपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि:-

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्त हेतु जिला..... से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुक्रमांक..... है। मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है और न ही वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा/मामला प्रचलित/लम्बित है और नहीं कोई पुलिस विवेचना (पदअमेजपहंजपवद द्वा लम्बित/प्रचलित है।

यदि भविष्य में उपरोक्त उल्लिखित तथ्य कभी भी गलत पाये जाये तो मुझे प्लाटून कमाण्डर पीएसी के प्रशिक्षण/सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाय।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

शपथकर्ता

मैंउपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित हैं तथा जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वह भी सत्य है इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करें।

अभिसाक्षी

आज दिनांक.....कोपूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी / शपथकर्ता

दिनांक 04.07.2016 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण में भेजे जाने हेतु सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची

SL. NO.	CAND ROLL NUMBER	Candidate Name	Post
1	463110187	ALOK KUMAR SINGH	PC
2	462320022	UMESH SINGH	PC
3	463100142	DINESH KUMAR	PC
4	453080509	AMBUJ TYAGI	PC
5	437040130	SACHIN KUMAR	PC
6	459060548	PRATEEK MISHRA	PC
7	463020080	SATYENDRA BAHADUR SINGH	PC
8	476130203	VIKAS KUMAR MISHRA	PC
9	414080636	PIYUSH KANT SINGH	PC
10	476140415	NITISH CHANDRA SHUKLA	PC
11	459090036	SONU SHAHI	PC
12	423170492	VINOD KUMAR	PC
13	473180067	ASHWANI SHARMA	PC
14	421050129	PRAVEEN TRIPATHI	PC
15	437050257	AMIT TRIPATHI	PC
16	429130253	JITENDRA KUMAR MISHRA	PC
17	423190019	KHAGENDRA KUMAR TIWARI	PC
18	462380027	VIPUL KUMAR SINGH	PC
19	472200162	NEERAJ KUMAR	PC
20	424230411	SHAKIR HUSAIN	PC
21	480091439	SANDEEP KUMAR SHUKLA	PC
22	474170166	KAMALDEEP VATS	PC
23	462300034	MUKESH SINGH	PC
24	423080130	KRISHAN KUMAR	PC
25	459110385	PUSP KUMAR SINGH	PC
26	462070298	MOHAMMAD ASALAM	PC
27	474110716	VIKKY KUMAR	PC
28	453060417	SONU KUMAR	PC
29	477210358	PRDEEP KUMAR	PC
30	437070248	NARENDRA KUMAR	PC
31	439140326	JITENDRA SINGH	PC
32	439140441	RAJ KUMAR	PC
33	474360212	KULDEEP KUMAR	PC
34	478120122	BRIJESH KUMAR	PC
35	429070519	JITENDRA KUMAR SINGH	PC
36	474180879	INDRA PAL	PC
37	474180894	NITIN KUMAR	PC
38	439160414	ANUJ DEOL	PC
39	437140248	REEGAN TOMAR	PC
40	47130471	AJEET KUMAR SINGH	PC